Dr. Seema Kumari, Asst. Prof. (Pol. Sc.), RMC, VKSU
BA - I, paper - 2, Comparative Govt and Politics
Date - 29.01.2022

एकात्मक शासन व्यवस्था (Unitary Government)

एकात्मक शासन वह होता है जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति संविधान द्वारा एक केंद्रीय सरकार में निहित की जाती है तथा राज्य शक्ति के प्रयोग में केंद्र सरकार सर्वोपरि रहती है। प्रो० गार्नर "एकात्मक शासन में संविधान द्वारा शासन की संपूर्ण शक्ति एक केंद्रीय सरकार को दे दी जाती है तथा उसकी सहमति से स्थानीय सरकारों की शक्ति तथा स्वतंत्रता एवं उनका अस्तित्व प्राप्त होता है।'

एकात्मक शासन का स्वरूप उसकी निम्न विशेषताओं से पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है:-

1. राज्य की शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित है।
2. संप्रभुता (Sovereignty) केंद्र से संचालित होती है।
3. एकल संविधान - केंद्र व राज्य का एक ही संविधान
4. एकल नागरिक - नागरिक केवल देश का होगा। नागरिक अधिकारों को नियंत्रित एवं व्यवस्थित करने का उत्तरदायित्व मात्र केंद्रीय सरकार को प्राप्त है।

एकात्मक सरकार के गुण :-

1. कार्यक्षमता तथा दक्षता की अधिकता ।
2. राष्ट्रीय एकता का प्रतीक
3. लचीलापन, सरलता
4. शासकीय इकाइयों की शक्ति पर केंद्र का नियंत्रण
5. अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एकात्मक सरकार की स्थिति दृढ़ रहती है।

Scanned with CamScanner

संघात्मक शासन व्यवस्था

यह एकात्मक एवं परिसंघात्मक का मिश्रित स्वरूप है। एकात्मक शासन व्यवस्था में विविध प्रादेशिक सरकारें व स्थानीय सरकारें, प्रशासकीय कुशलता के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित की जाती है।

संघवाद का सिद्धांत – इस शासन व्यवस्था से है जिसमें अनेक स्वतंत्र राष्ट्र अपने कुछ सामान्य उद्देश्य पूर्ति हेतु केंद्रीय सरकार का गठन करती है। इनका उद्देश्य लिखित समझौते संविधान द्वारा पूर्ति हेतु होता है। संघवाद सरकार का ऐसा दोहरा स्वरूप है जो विविधता के साथ एकता का समन्वय करने की दृष्टि से शक्तियों के प्रादेशिक तथा प्रकार्यात्मक विभाजन पर आधारित है।

संघात्मक व्यवस्था के लक्षण

1. संप्रभुता शक्ति का दोहरा प्रयोग
2. शक्तियों का विभाजन
3. संविधान की सर्वोच्चता
4. न्यायपालिका की स्वतंत्रता
5. दोहरी नागरिकता
6. संघीय सरकार के उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व
7. संघीय संविधान संशोधन में संघ की इकाइयों की भूमिका।

—